रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2009/ज्येष्ठ 11, 1931
No. 319] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2009/JYAISTHA 11, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2009

सा.का.नि. 375(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 30 के साथ पठित धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में,-

(क) नियम 5 के उप-नियम (2) के खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 5 के उप-नियम (2) में, "या समुचित प्राधिकारियों की सिफारिशों पर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) नियम 17 के उप-नियम (2) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन अपील अधिकरण का अतिरिक्त कार्यभार करने के लिए नियम 7 के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष या कोई सदस्य उस रूप में तब कार्य नहीं करेगा अब, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य को इन नियमों के नियम 4 और नियम 5 के अनुसरण में, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अपील अधिकरण में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त कर दिया गया है :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने से पूर्व, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाएगा ।" ।

[फा. सं. 6/14/2009-ईएस]

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 519(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 255(अ), तारीख 31 मार्च, 2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2009

G.S.R. 375(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) of Section 73 read with Section 30 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Appellate Tribunal) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Appellate Tribunal) Rules, 2007,—

(a) in Rule 5, in sub-rule (2), clause (a) shall be omitted;

(b) in Rule 6, in sub-rule (2), the words, "or on the recommendations of the appropriate authorities" shall be omitted;

(c) In sub-rule (2) of Rule 17, after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that the Chairperson or a Member appointed under sub-section (4) of Section 28, read with Rule 7, to hold additional charge of the Appellate Tribunal under these rules, shall cease to act as such, when the Chairperson or a Member, as the case may be, has been appointed on full time basis to the Appellate Tribunal established under this Act in accordance with the provisions of rule 4 and rule 5 of these Rules :

Provided also that the Chief Justice of India shall be consulted before removal of the Chairperson or a Member who was appointed on the recommendation of the Chief Justice of India.".

[F. No. 6/14/2009-E. S.]

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 519(E), dated the 1st August, 2007 and amended *vide* notification No.G.S.R. 255(E), dated the 31st March, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.